न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 01/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/7

मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवसी 5 केएसडी पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

बनाम

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत निवेदन किया गया कि धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 16.10.2023 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में कोई सूचना नहीं दी गई है। धारा 20(1) के तहत ढ़ाई सौ रूपये प्रति दिन जुर्माना लगाया जाकर अपीलार्थी को बिन्दूवार सूचना दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।
2. प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त की गयी। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक/सूकाअ/24/3345 दिनांक 19.02.2024 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दू सं. 1,2,4 की सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय के पत्रांक/सूकाअ/24/3267 दिनांक 01.02.2024 को भिजवा दिया था। बिन्दू सं. 3 की सूचना कार्यालय के पत्रांक 3309 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी हैं। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3267 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायसिंहनगर को अपीलार्थी के आवेदन पत्र की छायाप्रति भिजवाते हुए बिन्दू सं. 1,2,4 की सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु पत्र की प्रतिलिपि आवेदक को प्रेषित नहीं की गयी। जबकि लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को चाहिए था कि वे आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र हस्तांतरित करते हुए आवेदक को सूचित करते। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के द्वारा अपने प्रतिवेदन में अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दू सं. 5 के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की हैं जिससे प्रत्यक्षतः यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी हैं। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अंकित किया हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना पत्रांक 3309 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी हैं। पत्रांक 3309 दिनांक 09.02.2024 में बिन्दू सं. 3 के समक्ष कॉलम में "प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं" अंकित हैं। लेकिन सूचना उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे निर्णय की उक्त मद् सं. 3 के आलोक में अपीलार्थी के [illegible] पत्र पर इस निर्णय की प्रति प्राप्ति के सात दिवस के भीतर नये सिरे से विनिश्चय [illegible] हुए अपीलार्थी/आवेदक को सूचित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ [illegible] जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:44 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़